

दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०
वसंत विहार, देहरादून

सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र एवं घोषण पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
.....व्यवसाय.....

पूरा पता.....का निवासी हूँ। मैं
दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (DVOCHSL) वसंत विहार, देहरादून
का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ तथा सदस्यता के पात्र होने के लिये निम्न घोषणा
करता/करती हूँ :-

1. मेरी आयु.....वर्ष है। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र व्यक्ति हूँ।
2. मैं समिति के कार्य क्षेत्र में रहता/रहती हूँ/रहने का/की इच्छुक हूँ।
3. मैं केन्द्रीय/राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी/भूतपूर्व राजपत्रित अधिकारी या उनके परिवार का सदस्य/केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा गठित आयोग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक बैंक का प्रथम श्रेणी का अधिकारी हूँ, तथा DVOCHSL समिति की उपविधि के पैरा 5 की शर्तों को पूरा करता हूँ।
4. मेरे परिवार में निम्न सदस्य हैं :-
(क) नामसम्बन्ध..... उम्र
(ख) नामसम्बन्ध..... उम्र
(ग) नामसम्बन्ध..... उम्र
(घ) नामसम्बन्ध..... उम्र
(ङ) नामसम्बन्ध..... उम्र
5. देहरादून जनपद के किसी शहरी क्षेत्र की सीमा के अन्दर मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है।
6. मैं देहरादून जनपद के किसी शहरी क्षेत्र या अन्य किसी आवास समिति का/की सदस्य नहीं हूँ और सिवाय नियम-43 के अधीन किसी अन्य आवास समिति का/की सदस्य नहीं बनूँगा/बनूँगी।
7. मैं बतौर सदस्य उत्तराखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003, उत्तराखण्ड सहकारी समितियाँ नियम-2004 एवं दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (DVOCHSL) की वर्तमान उपविधियों (Bye-Laws) तथा उनमें किये गये किसी ऐसे परिष्कार, परिवर्तन व संशोधन को मानने के लिये बाध्य रहूँगा/रहूँगी जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिये गये निर्देशों से आबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

8. मैं सहकारी आवास समिति (दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0 (DVOCHSL) की लिखित अनुमति के बिना, अपनी भूमि या भवन को किराये पर नहीं उठाऊँगा/उठाऊँगी और न ही उसका हस्तान्तरण विक्रय/बन्धक द्वारा अन्य किसी प्रकार करूँगा/करूँगी। साथ ही यह भी घोषित करता/करती हूँ कि अपने उपरोक्त भवन का प्रयोग किसी दुकान या गोदान के रूप में अथवा किसी व्यापार के लिए नहीं करूँगा/करूँगी।

9. मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी जो DVOCHSL समिति के हितों के विरुद्ध हो या विधिवत पारित संकल्प के विरुद्ध हो।

10. मैं यह भी घोषण करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन किये जाने पर मैं अधिनियम, नियमावली या DVOCHSL समिति की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी होऊँगा/होऊँगी या सम्पत्ति की बिक्री को रद्द कर दिया जायेगा या पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति को सोसायटी द्वारा फिर से वापिस किया जायेगा।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भूखण्ड की डीड मेरे पक्ष में होने के दिनांक से मैं तीन वर्ष की अवधि के भीतर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो DVOCHSL समिति को पूरा अधिकार होगा कि वह मेरे भूखण्ड का प्रतिदान देकर जिसकी धनराशि सदस्य द्वारा समिति को दिये गये मूल्य से अधिक न होगी, जब्त कर लें।

12. मैं अपने प्लॉट एवं भवन निर्माण के दौरान भूतल (Basement) का निर्माण नहीं कराऊँगा/कराऊँगी एवं भवन निर्माण तीन (3) मंजिल से अधिक का नहीं होगा।

13. मेरे आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित (Self Attested) फोटोकॉपी संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी 1.

साक्षी 2.

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा नाम.....

पता.....

पता.....

टिप्पणी : यह 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित किया जाये।